रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88 ] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2000/माघ 20, 1921
No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2000/MAGHA 20, 1921

## जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2000

**सा.का.नि. 99(अ).**—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i), तारीख 12 अक्तूबर, 1999 में भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि 700(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1999 द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं,पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 13 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केंद्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 115क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"**115ख. संपीड़ित प्राकृतिक गैस द्वारा चालित यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक.**—यानों के लिए जब वे संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर प्रचालित हो, द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, हाइड्रोकॉर्बन के स्थान पर गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापित करेंगे। गैर-मीथेन हाइड्रोजन का विश्लेषक द्वारा या निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राक्कलन किया जा सकेगा, अर्थात् :—

एन एम एच सी = एच सी × (1-के/100)

जहां एच सी = मापा गया कुल हाइड्रोकार्बन के = प्राकृतिक गैस ईंधन में मीथेन अन्तर्वस्तु का प्रतिशत।

प्रतिनिर्देश ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मीथेन अन्तर्वस्तु 70% से कम नहीं होगी—

(i) **ओ ई फिटमेन्ट वाले गैसोलीन यानों के लिए** : कुल हाइड्रोकार्बन के स्थान पर "गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन" के साथ प्रचलित किस्म के अनुमोदन मान लागू होंगे।

(ii) **ऐसे गेसोलीन यानों के लिए जो उपयोग में हैं** :—ऐसे यान, जो उपयोग में हैं और जिसमें सी एन जी किट फिट है, गेसोलीन यानों के लिए विहित ऐसे उत्सर्जन मानों को पूरा करेंगे, जो यान के विनिर्माण के वर्ष के तत्संबंधी प्रचालित यानों को लागू हैं।

सी एन जी किट के अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए किट प्रदायकर्ता नियम 126 के अधीन प्राधिकृत किसी परीक्षण अभिकरण के प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा जो यान की (क) 750 सी सी तक (ख) 751 सी सी से 1300 सी सी तक और (ग) 1301 सी सी और ऊपर की रेंज की इंजन क्षमता पर आधारित होगा, और ऐसी किटें, क्रमश: इंजन क्षमता रेंज के अन्तर्गत आने वाले किसी यान पर अनुरूपांतरण के अनुज्ञेय होंगे। ऐसी किट के सी ओ पी के प्रयोजनों के लिए किट प्रदायकर्ता/विनिर्माता, प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् किट के नवीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु अनुमोदित किट, ऐसे इंजन से, जिसके लिए इसका परीक्षण किया गया है, अधिक इंजन क्षमता के यान में अनुरूपान्तरित नहीं की जाएगी।

(iii) **ओ ई फिटमेन्ट वाले डीजल यानों के लिए** :—कुल हाइड्रोकार्बन के स्थान पर "गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन" के साथ डीजल यानों के लिए प्रचलित किस्म अनुमोदन मान लागू होंगे।

(iv) **ऐसे डीजल यानों के लिए जो उपयोग में हैं** :—ऐसे डीजल यान, जो उपयोग में हैं, जब उन्हें सी एन जी पर प्रचालन के लिए रूपान्तरित किया जाये, यान के विनिर्माण के वर्ष के तत्संबंधी डीजल यानों के लिए किस्म अनुमोदन मानों को पूरा करेंगे और परीक्षण की प्रक्रिया वह होगी जो उपयोग किए जा रहे गैसोलीन यानों को लागू हैं। ऐसे रूपान्तनित यान, ऐसी सड़क उपयुक्तता अपेक्षाओं को भी पूरा करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

**स्पष्टीकरण :—**

1. ऐसे यानों पर, जो उपयोग में है, ओ ई फिटमेन्ट और अनुरूपान्तरण के लिए किस्म अनुमोदन की जिम्मेदारी क्रमश: यान विनिर्माता और किट विनिर्माता/प्रदायकर्ता की होगी।

2. अनुरूपान्तरण के लिए सी एन जी किट का किस्म अनुमोदन जारी करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और वह नवीकरणीय होगा।

3. सी एन जी पर समर्पित प्रचालन के लिए रूपांतरित ऐसे चौपहिया/तिपहिया/दुपहिया यानों को, जिन पर क्रमश: 5ली/3ली/2ली क्षमता से अनधिक के स्टेण्डबॉय गैसोलीन टंकिया फिट है, द्रव्यमान उर्त्सजन परीक्षण क्रैंक केस उत्सर्जन परीक्षण और इवेपोरेटिव उत्सर्जन परीक्षण से छूट प्राप्त होगी।

4. ऐसे यानों में, जो उपयोग में हैं, सी एन जी किटों का अनुरूपांतरण ऐसी कर्मशालाओं में किया जाएगा जो किट विनिर्माण/किट प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत है।"

[फा. सं. आर टी-110011/15/99-एस.एम. वी. एल.]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2-6-1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और इसमें अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 77(अ), तारीख 31-1-2000 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**

**(Transport Wing)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2000

**G.S.R. 99(E).**— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989 was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (I) dated the 12th October,1999 with the notification of Government of India in the Ministry of Surface Transport(Transport Wing), No. G.S.R. 700(E) dated 12th October, 1999 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing the Notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 13th October, 1999;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (4th Amendment) Rules, 2000

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 115 A, the following rule shall be inserted, namely:-

**"115 B. MASS EMISSION STANDARDS FOR COMPRESSED NATURAL GAS DRIVEN VEHICLES.**-- Mass emission standards for vehicles when operating on Compressed Natural Gas shall replace Hydrocarbon by Non Methane Hydrocarbon. Non Methane Hydrocarbon may be estimated by an analyzer or by the following formula, namely:-

NMHC = HC x (1-K/100)
Where HC = total hydrocarbons measured.
K = % Methane content in natural gas fuel.

Methane content in Compressed Natural Gas to be used as reference fuel shall not be less than 70%

(i) **For gasoline vehicles with OE fitment**: Prevalent type approval norms shall be applicable with "Non Methane Hydrocarbon" in place of total Hydrocarbon.

(ii)**For in-use gasoline vehicles**:

The in-use vehicles fitted with CNG kits shall meet the emission norms prescribed for gasoline vehicles as applicable to the prevailing norms corresponding to the year of manufacture of the vehicle. For purposes of CNG kit approval the kit

supplier shall obtain the certificate from any of the test agencies authorized under rule 126 based on vehicles of engine capacity in the range of (a).upto 750 cc, (b) from 751 cc to 1300 cc, and (c) from 1301 cc and above, and such kits shall be permissible to be retrofitted on any vehicle falling in the respective engine capacity range. For purposes of COP for such a kit , kit supplier/manufacturer shall have the certificate of the kit renewed after every 5 years.

Provided that the approved kit shall not be retrofitted on a vehicle of higher capacity engine than the engine for which it has been tested.

**(iii) For diesel vehicles with OE fitment**: Prevalent type-approval norms for diesel vehicles shall be applicable with "Non Methane Hydrocarbon" in place of total Hydrocarbon.

**(iv) For in use diesel vehicles**: The in-use diesel vehicles when converted for operation on CNG, shall meet type approval norms for diesel vehicles corresponding to the year of manufacture of the vehicle and the procedure for testing shall be as applicable to in-use gasoline vehicles. Such converted vehicles shall also meet road-worthiness requirements as may be specified by the Central Government.

Explaination:-

1. For OE fitment and retrofitment on "In-Use" vehicles, the responsibility of Type Approval shall be that of the vehicle manufacturer and kit manufacturer/importer respectively.

2. The Type Approval of CNG kit for retrofitment shall be valid for five years from the date of issue and shall be renewable .

3. Four-wheeled/three-wheeled/two-wheeled vehicles converted for dedicated operation on CNG and fitted with a standby gasoline tank not exceeding 5 ltr/ 3 ltr/ 2 ltr capacity respectively, shall be exempted from mass emission test, crank case emission test and evaporative emission test.

4. The retrofitment of CNG kits in in-use vehicles, shall be carried by workshops authorized by the kit manufacturer/kit supplier. "

[F. No. RT-11011/15/99-MVL]

K.V. RAO, Jt. Secy.

**Note** : The Principal rules were notified vide notification number GSR 590(E) dated 02-06-1989 and were last amended vide notification No. G.S.R. 77(E) dated 31-01-2000

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054